

**राजस्थान विधान सभा**  
**चतुर्थ सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**मंगलवार, दिनांक 07 अप्रैल, 2015**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**  
**वार्षिक प्रतिवेदन**

श्री कालीचरण सराफ, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे:-

- 1- महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 1987 की धारा-38(4) के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015.
- 2- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा-25(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015. एवं
- 3- महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा-25(2) के अन्तर्गत महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015.

**3. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री पूरणमल सैनी, सदस्य, विधान सभा, जिला आवास पूल एवं विधायक आवासों पर किये गये कार्यों एवं स्वीकृत राशि के कथित दुरुपयोग की जांच कराये जाने के संबंध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

**4. विधायी कार्य**

**विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक**

**(I) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015**

- (I) श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान कृषि उपज  
मण्डी(संशोधन) विधेयक, 2015  
(2015 का विधेयक संख्या-8)

"राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को  
और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

**(II) डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर(संशोधन) विधेयक, 2015**

- (I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-
- डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-10)
- "डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

**(III) राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015**

- (I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-
- राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-13)
- "किसी भवन में अलग-अलग अपार्टमेंट के और ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त हित के स्वामित्व के लिये उपबंध करने और ऐसे अपार्टमेंट और हित को दाययोग्य और अंतरणीय बनाने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

पृथ्वी राज  
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,  
जयपुर ।

दिनांक : 06 अप्रैल, 2015